

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- आदलत सेवा केन्द्र - पामला खूई

प्रकरण सं.:- 81/2018

दिनांक:- 11.6.2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1494

आदेश


वादी के वाद पत्र एवं पटवारी पामला खूई व भू.अ.नि. पामला कला

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम डांगवा

तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2073-76 में खाता संख्या 37 में

वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि आदाराम पुत्र दुर्गाराम के ^{आदाराम} स्थान पर अवरलाल पुत्र


दुर्गाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 11/06/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1495-27

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री अवरलाल/दुर्गाराम निवासी डंगवा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी